



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. / ६४३० MGNREGS -MP/NR-3/2014

भोपाल, दिनांक २५/०९/२०१४

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.
जिला—समस्त (म.प्र.)

विषय: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में नवीन कार्य प्रारंभ न करने के संबंध में।

संदर्भ: म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 4535 / NR-3/दिनांक 27.06.2014

—००—

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्तमान में 7,32,934 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के दृष्टिगत संदर्भित पत्र की निरंतरता में शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत नवीन कार्य प्रारंभ न करने तथा सभी अपूर्ण कार्यों को द्रुत गति से पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है। ~~क्षौभाक्ष के निवारण कामों को सख्त रूप से लें।~~

जहां किसी ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य चालू/लंबित नहीं है, वहाँ जॉबकार्डधारियों की रोजगार की मांग आने पर समीपवर्ती ग्राम पंचायत के प्रचलित कार्यों में उन्हें नियोजित किया जावे अथवा विशेष परिस्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही नवीन कार्य प्रारंभ किये जावें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरुण शंदे)
२५/०९/२०१४

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. / ६४३१ / MGNREGS -MP/NR-3/ 2014 भोपाल, दिनांक २५/९/२०१४

प्रतिलिपि,

कमिशनर, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरुण शंदे)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग